कार्यालय अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़।

पत्रांकः / अधि0वि0 / एडीए / 2019–20 दिनाँक– 30-12-2019

आदेश

रिट याचिका संख्या–13029 / 1985 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या–1220 / आठ–3–19–23 विविध / 2016, दिनाँक–04.11.2019 एवं शासनादेश संख्या–37 / 2016 / 207 / आठ–1–16– 27विविध / 14, दिनाँक–27.01.2016 एवं शासनादेश संख्या–2566 / आठ–1–19–83बैठक / 2017, दिनाँक–27.12.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनाँक– 04.11.19 के माध्यम से आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों को निर्माण गतिविधियों उत्सर्जित धूल तथा वायु प्रदूषण होने के साथ–साथ विभिन्न स्थलों पर उक्त के सम्बन्ध में प्रभावी रोकथाम हेतु निम्न निर्देश जारी किये गये है :–

1. निर्माण सामग्री को निर्धारित स्थलों पर ढक कर रखा जाय तथा समुचित प्रकार से पानी का छिड़काव किया जाये।
2. निर्माण सामग्री को लाने व ले जाने वाले वाहनों के टायरो / बॉडी की भली–भाँति धुलाई की जाये तथा निर्माण सामग्री को ढक कर ले जाया जाये।
3. निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से जनित अपशिष्ट को निर्धारित स्थल तक ढककर ले जाया जाये तथ सड़कों के किनारे अनियंत्रित रूप से एकत्रित न किया जाय।
4. निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से जनित अपशिष्ट को पुनः प्रयोग किये जाने हेतु स्थल निर्धारित करते हुए प्लान्ट स्थापित किया जाये।
5. पेड़ों से झड़ने वाली पत्तियों व उद्यानों से जनित अपशिष्ट को जलाया न जाये अपितु निर्धारित स्थलों पर कम्पोस्ट पिट बनाकर निस्तारित किया जाये।
6. प्राधिकरण स्तर द्वारा उक्त निर्देशों के उल्लंघन पर व्यक्तियों / संस्थाओं के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण महायोजना क्षेत्र में भवन निर्माण की अनुज्ञा के अन्तर्गत यह प्रतिबन्ध अनिवार्य रूप से अंकित करने के निर्देश जारी किये जाते है कि निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जाये, निर्माण सामग्री के परिचालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामग्रियों पर पानी का छिड़काव किया जाये एवं डस्ट संस्पेंशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य करते हुये निर्माण सामग्रियों को ले जाने हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जाये।

प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय में हो रही सुनवाई तथा आदेशों के अनुपालन के क्रम में उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये अनुपालन आख्या प्राप्त किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त शासनादेश दिनाँक–27.01.2016 के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना है। किसी भी स्तर पर अनुपालन न करने पर दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

उपाध्यक्ष,
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण,
अलीगढ़

पत्रांक 4342(4) / तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि :–
1. निदेशक, आवास बन्धु, प्रथम तल जनपथ मार्केट, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. सचिव / अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता / विशेष कार्याधिकारी को इस आशय के साथ कि अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
3. समस्त सहायक अभियन्ता / समस्त अवर अभियन्ता को अनुपालनार्थ।
4. श्री अर्पण सिंह, लिपिक को इस आदेश के साथ कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराये।

उपाध्यक्ष,
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण,
अलीगढ

Scanned by CamScanner